

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक

14/3/2024

प्रत्यावकी - निशुद्धी। वाकी व वाकी वकील
 उपस्थित नहीं। प्रकरण में वाकी-वाकी
 वाकी व वाकी वकील जो आवाज मिलवायी
 गयी। आवाज मिलवाने के बाद मुकदमा वाकी-
 व वाकी वकील आश्रित नहीं। जिससे
 जांचर होना है कि वाकी व वाकी वकील प्रकरण
 आश्रित नलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः
 मु.ग. 120/18 द्वारा सचिव को आदेश दिया
 गया है कि वाकी व वाकी वकील को
 जांचर होना है। प्रत्यावकी केवल सुधार होकर नजर
 आना ही।

उपरोक्त अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)